



2026:AHC:168995

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27233/2026

पवन कुमार विश्वकर्मा

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : श्री गुंजन द्विवेदी, श्री प्रकाश द्विवेदी
के अधिवक्ता : जी.ए.

प्रतिवादी(यों)

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

यह आवेदन मामला अपराध संख्या 20/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन कोटवाली सिटी, जिला मिर्जापुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गुप्त मकसद से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सह-आरोपी के इकबालिया बयान के माध्यम से आवेदक का नाम इस मामले में सामने आया। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को नहीं किया है। आवेदक के सह-आरोपी महेश कुमार बिंद और पिंटू को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23090/2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक के दस अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास पूरक हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक 07.04.2026 से जेल में बंद है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक यह वचन दें कि यदि उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वे इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

जमानत याचिका का विद्वान ए.जी.ए. ने कड़ा विरोध किया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख, साक्ष्यों का अध्ययन करने और साथ ही आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक पवन कुमार विश्वकर्मा को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i). आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii). आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii). आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

12 अगस्त, 2026

बृजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।